प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यू0पी0 डास्प, उ0प्र0

चतुर्थतल, पिकपभवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–220 010
फोनः 2720718 फैक्सः 2720837 टोलफ्री नं0 1800 1800 118
ईमेल–updasp12@gmail.com,बेबसाइटः www.updasp.org

पत्रांक:3437 / का0डा0 / एग्री0बिज0 / डास्प / 2015
दिनांकः 21 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

फार्म मैकेनाइजेशन एवं साइट स्पेसिफिक गतिविधि मद अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को अनुदानित यंत्रों / उपकरणों को उपलब्ध कराने सम्बन्धित दिशानिर्देश।

1. पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश तथा पत्रांक 3341 / डास्प / 145 / टीए / सीडीपी / 2015 दिनांक 03.09.2015 के क्रम में पात्र लाभार्थियों का चयन कर पी0एम0जी0 से लाभार्थी सूची का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
2. चयनित लाभार्थी कृषकों का खाता सी0बी0एस0 सुविधायुक्त बैंक में हो और यदि न हो तो खुलवाया जाये ताकि अनुदान की धनराशि कृषकों के खाते में अन्तरित करने में असुविधा / देरी न हो।
3. पात्र लाभार्थियों से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिया जाये कि उसके पास सम्बन्धित यंत्र नहीं है और पूर्व में उसके द्वारा उक्त यंत्र को किसी योजनान्तर्गत प्राप्त नहीं किया गया है।
4. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के माध्यम से प्राप्त विभिन्न यंत्रों के प्रतिष्ठित निर्माताओं के उत्पाद, विशिष्टियां, विशेष गुण तथा अधिकृत डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर / विक्रय उपरान्त सर्विस का विवरण एक पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पुस्तिका का आशय यह है कि इस विवरण को किसानों के साथ शेयर किया जाये ताकि उन्हें गुणवत्ता का यंत्र चुनने में सुविधा हो सके तथा गुणवत्ता के मानकों के आधार पर कृषक स्वयं सम्बन्धित यंत्र का price negotiate कर मूल्य तय कर क्रय कर सके। इस पुस्तिका को यूपीडास्प की वेबसाइट www.updasp.org पर भी अपलोड किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह परामर्श भी दिया जाता है कि एक ही ब्राण्ड के यंत्र / उपकरण की डिमाण्ड की दशा में कृषकों द्वारा सामूहिक रूप से price negotiate कर कीमत को स्थिर कराया जा सकता है। जिन जनपदों में एफ0पी0ओ0 का रजिस्टेशन हो गया है वहां पर यथा सम्भव एफ0पी0ओ0 को involve करने का प्रयास किया जाय।
5. यंत्र / उपकरण के क्रय हेतु लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित यंत्र / उपकरण के निर्माता कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर को भुगतान चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक तथा नेफ्ट /

आर0टी0जी0एस0 द्वारा ही किया जायेगा (कैश डिपाज़िट मान्य नहीं होगा)। पिछले वर्ष के यंत्र/उपकरण के अभिलेखों का परीक्षण करने पर ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं जिसमें बाउचर पर उपकरण की यूनिक आई0डी0, टिन नं0, कृषक नाम इत्यादि सूचनायें नहीं दी गई हैं जिससे बाउचर संदिग्ध प्रतीत होते हैं। अतः डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा वाउचर में क्रय किये जा रहे उक्त यंत्र/उपकरण की यूनिक आई0डी0 तथा सभी आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। मशीन क्रय के उपरान्त डीलर द्वारा उसी दिन वाउचर की कापी स्कैन कर updasp12@gmail.com ईमेल पर भेजी जायेगी। यदि किसी कारणवश कापी भेजने में उस दिन परेशानी होती है तो उसका विवरण (भुगतान विवरण सहित) ईमेल से भेजा जायेगा। इसके लिए वेबसाइट पर भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। मशीन क्रय के वाउचर के आधार पर लाभार्थी अपने अनुदान का क्लेम जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में अधिकतम 03 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा। क्रय किये गये यंत्र/उपकरण की आई0डी0 के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक अगले 02 दिन के अन्दर सत्यापन करेगा और अपनी अंतिम संस्तुति पी0सी0यू0 को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करेगा। पी0सी0यू0 द्वारा डी0बी0टी0 नीति अन्तर्गत 07 दिन के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान कृषक के खाते में अंतरित कर दिया जायेगा।

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यंत्र निर्माता द्वारा स्टॉक ट्रान्सफर इत्यादि की सूचना यंत्रों की आई0डी0 सहित पी0सी0यू0 से शेयर की जायेगी। अतः सत्यापन प्रकिया में यदि किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा अनियमितता संज्ञान में आती है तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जायेः

i. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा कृषकों के हित में कृषकों द्वारा अच्छे से अच्छे गुणवत्ता के मानकों का यंत्र क्रय करने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये तथा कृषकों को सामूहिक रूप से price negotiation कर मूल्य स्थिर कराने हेतु उत्प्रेरित किया जाये। मात्र अनुदान प्राप्त करने हेतु सस्ते एवं निम्न गुणवत्ता के यंत्रों की ओवर बिलिंग यदि प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित विक्रेता तथा अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ii. पूर्व में क्रय किये गये यंत्रों को अनुदान हेतु चयनित सूची में शामिल किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

iii. गत वर्षों के बाउचर का परीक्षण करने पर यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि वाउचर पर ओवर राईटिंग, कटिंग तथा फ्लूड लगा है जो वाउचर की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार का कोई वाउचर स्वीकार न किया जाये। यदि इस प्रकार की गलती पायी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा।

iv. कृषकों को अनुदान ट्रान्सफर करने हेतु किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसे पीसीयू, मुख्यालय संदर्भित किया जाये।

(डा0 प्रभात कुमार)
परियोजना समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष, पी0एम0जी0, कॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना, जनपद .....।
2. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, कॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), पी0सी0यू0, यूपीडास्प।
4. प्रबन्धक (प्रशा0/का0), पी0सी0यू0, यूपीडास्प।
5. समस्त जोनल अधिकारी, पी0सी0यू0, यूपीडास्प।

G. Singh

(प्रो0 गजेन्द्र सिंह)
तकनीकी समन्वयक